दैनिक भास्कर जयपुर 23-07-2025

बिहार में एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट में 6 आधार पर निर्वाचन आयोग ने दी सफाई

94.68% वोटर्स पहले ही कवर, बिना सुनवाई नाम नहीं हटेगा, 2003 की वोटर लिस्ट वाले दस्तावेज देने से मुक्त

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया इसलिए की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए।

आयोग ने उन याचिकाओं का विरोध किया है, जिनमें कहा गया था कि यह प्रक्रिया खासकर वंचित तबकों के बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से बाहर होने का कारण बन सकती है। आयोग ने कहा कि यह दावा गलत है कि 'एन्यूमरेशन फॉर्म' न भरने से मतदाता सूची से नाम हट जाएगा। आयोग ने कहा कि 31 दिन का समय पर्याप्त है और किसी का नाम बिना सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने 6 प्रमुख आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने पहले ही आयोग को निर्देश दिया है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को भी मान्यता देने पर विचार करे, ताकि गरीब और वंचित तबकों को परेशानी न हो।

पहले भी हो चुका है एसआईआर: आयोग ने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। बिहार में पिछली बार यह 2002-2003 में हुआ था। उस समय 15 जुलाई से 14 अगस्त 2002 तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष

1. वोटर की नागरिकता 'जांचने का अधिकार संविधान से मिला'

चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर की नागरिकता जांचने का उसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 से आता है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट तैयार करने, उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है। आयोग ने कहा कि यह उसका संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय नागरिक ही शामिल हों। इसलिए नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगना पूरी तरह वैध है।

2. नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज देने की जिम्मेदारी व्यक्ति की

आयोग ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज व्यक्ति के पास ही होते हैं, इसलिए यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह यह प्रमाण दे कि वह भारतीय नागरिक है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि माता-पिता की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगने का प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अनुरूप है। इसलिए यह मांग न तो गलत है, न ही भ्रामक।

3. दस्तावेज न देने वाले लोगों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा

आयोग ने कहा कि जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है, चाहे उन्होंने दस्तावेज दिए हों या नहीं, उन्हें 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समय पर फॉर्म नहीं भर पाया है, तो वह 1 सितंबर तक दावा कर सकता है और आवश्यक घोषणा पत्र के साथ अपना नाम जुड़वा सकता है।

4. राजनीतिक दलों को दी गई जिम्मेदारी, 94.68% वोटर कवर हो चुके हैं

आयोग ने बताया कि जिन मतदाताओं के फॉर्म नहीं मिले हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों को दी गई है ताकि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के जरिए उन लोगों से संपर्क कर फॉर्म भरवा सकें। आयोग ने दावा किया कि 18 जुलाई तक 94.68% मतदाता कवर हो चुके हैं। इसमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक बार दर्ज मतदाताओं को हटाने के बाद का आंकड़ा है।

5. आयोग ने कहा- बिना जांच व सुनवाई किसी का नाम लिस्ट से नहीं हटेगा

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि किसी भी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बिना जांच और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) या सहायक अधिकारी (एईआरओ) को जांच करनी होगी और कारण बताते हुए आदेश देना होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।

6. 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने पर कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है

आयोग ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म और 2003 की वोटर लिस्ट की प्रति देनी होगी, जो बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) उपलब्ध कराएंगे। 1985 के बाद जन्मे और 2003 के बाद पात्र बने लोग भी अपने माता-पिता के नाम 2003 की लिस्ट में होने का प्रमाण देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

आयोग ने कहा- दलों ने एसआईआर में सहयोग किया, कोर्ट में सवाल उठा रहे

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने सक्रिय भागीदारी की थी। आयोग ने बताया कि इन दलों ने 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात किए, लेकिन अब वही दल इस प्रक्रिया का विरोध सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं इस तथ्य को जानते हुए भी कोर्ट को नहीं बताया और जानबूझकर इसे छिपाया।
जबकि, पहली बार सभी प्रमुख दलों ने इतने बड़े स्तर पर एसआईआर में भाग लिया।

पंजाब केसरी
WED,23 JULY 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

आधार, राशन कार्ड केवल पहचान के लिए

निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR को उचित ठहराया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (एजैंसी): निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह सूची से "अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर" चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। बिहार से शुरू कर पूरे भारत में मतदाता सूची के SIR का निर्देश 24 जून को दिया गया। इस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि कानूनी चिंताओं के बावजूद आयोग एसआईआर-2025 प्रक्रिया के दौरान पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए आधार, मतदाता कार्ड और राशन कार्ड पर पहले से ही विचार कर रहा है।

आयोग ने एक विस्तृत हलफनामे में कहा, 'मतदान का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं 16 और 19 के साथ अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 से प्राप्त होता है जिसमें नागरिकता, आयु और सामान्य निवास के संबंध में कुछ पात्रताओं की बात की गई है। एक अपात्र व्यक्ति को मतदान का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए वह इस संबंध में अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता।' इसमें शीर्ष अदालत के 17 जुलाई के उस आदेश का हवाला दिया (शेष पृष्ठ 13 कालम 2 पर)

बिहार में गणना का 97% काम पूरा

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अब तक 97 प्रतिशत गणना का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,16,04,102 गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं जो लगभग 90 प्रतिशत है। 52,30,126 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले जो 6.62 प्रतिशत है। करीब 26 लाख मतदाताओं ने स्थायी रूप से अपना मत स्थानांतरित करवा लिया है जो 3.29 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि गणना में 1866869 मृतकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं जो 2.36 प्रतिशत है।

दैनिक नवज्योति
जोधपुर, बुधवार, 23 जुलाई 2025

फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण 23 जुलाई को

नवज्योति/जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर के निदेर्शानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Summary Revision) के तहत बुधवार, 23 जुलाई को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, पॉलिटेक्निक परिसर, जोधपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (ए.ई.आर.ओ.) तथा विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर उदयभानु चारण ने बताया कि यह प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित होगा। प्रथम सत्र प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा, जिसमें शेरगढ़, ओसियां, भोपालगढ़ एवं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। द्वितीय सत्र दोपहर 1.30 बजे से सांय 6.30 बजे तक चलेगा, जिसमें जोधपुर, सूरसागर, लूणी एवं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र शर्मा तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स– राजेश डी. पुरोहित, प्रिंस व्यास, शेखर पुरोहित, ललित कुमार, प्रदीप कुमार खत्री, सूरज प्रकाश लखारा, राजूराम और रामलाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। चारण ने बताया कि विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आगामी सप्ताह में अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में बी.एल.ओ. (बूथ लेवल ऑफिसर) एवं बी.एल.ओ. पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

दो सत्रों में होगा ईआरओ, ए.ई.आर.ओ. एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

हुक्मनामा समाचार

फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण आज

जोधपुर (हुक्मनामा समाचार)। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 23 जुलाई को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, पॉलिटेक्निक परिसर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (एईआरओ) तथा विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर उदयभानु चारण ने बताया कि यह प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित होगा। प्रथम सत्र सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा, जिसमें शेरगढ़, ओसियां, भोपालगढ़ एवं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। द्वितीय सत्र दोपहर 1.30 बजे से सांय 6.30 बजे तक चलेगा, जिसमें जोधपुर, सूरसागर, लूणी एवं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र शर्मा तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स राजेश डी. पुरोहित, प्रिंस व्यास, शेखर पुरोहित, ललित कुमार, प्रदीप कुमार खत्री, सूरज प्रकाश लखारा, राजूराम और रामलाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विश्वास एक्सप्रेस दैनिक प्रातः कालीन

फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण आज

विश्वास एक्सप्रेस

जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 23 जुलाई को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, पॉलिटेक्निक परिसर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (एईआरओ) तथा विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर उदयभानु चारण ने बताया कि यह प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित होगा। प्रथम सत्र सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा, जिसमें शेरगढ़, ओसियां, भोपालगढ़ एवं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। द्वितीय सत्र दोपहर 1.30 बजे से सांय 6.30 बजे तक चलेगा, जिसमें जोधपुर, सूरसागर, लूणी एवं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र शर्मा तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स राजेश डी. पुरोहित, प्रिंस व्यास, शेखर पुरोहित, ललित कुमार, प्रदीप कुमार खत्री, सूरज प्रकाश लखारा, राजूराम और रामलाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सच मीडिया

फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण 23 जुलाई को

जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार, 23 जुलाई को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, पॉलिटेक्निक परिसर, जोधपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (ए.ई.आर.ओ.) तथा विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर श्री उदयभानु चारण ने बताया कि यह प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित होगा। प्रथम सत्र प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा, जिसमें शेरगढ़, ओसियां, भोपालगढ़ एवं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। द्वितीय सत्र दोपहर 1.30 बजे से सांय 6.30 बजे तक चलेगा, जिसमें जोधपुर, सूरसागर, लूणी एवं बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिभागी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री वीरेंद्र शर्मा तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स–श्री राजेश डी. पुरोहित, प्रिंस व्यास, शेखर पुरोहित, ललित कुमार, प्रदीप कुमार खत्री, सूरज प्रकाश लखारा, राजूराम और रामलाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पंजाब केसरी

आधार, राशन कार्ड केवल पहचान के लिए

निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR को उचित ठहराया

नई दिल्ली, 22 जुलाई (एजैंसी): निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह सूची से "अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर" चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। बिहार से शुरू कर पूरे भारत में मतदाता सूची के SIR का निर्देश 24 जून को दिया गया। इस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि कानूनी चिंताओं के बावजूद आयोग एसआईआर-2025 प्रक्रिया के दौरान पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए आधार, मतदाता कार्ड और राशन कार्ड पर पहले से ही विचार कर रहा है।

आयोग ने एक विस्तृत हलफनामे में कहा, 'मतदान का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं 16 और 19 के साथ अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 से प्राप्त होता है जिसमें नागरिकता, आयु और सामान्य निवास के संबंध में कुछ पात्रताओं की बात की गई है। एक अपात्र व्यक्ति को मतदान का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए वह इस संबंध में अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता।' इसमें शीर्ष अदालत के 17 जुलाई के उस आदेश का हवाला दिया (शेष पृष्ठ 13 कालम 2 पर)

बिहार में गणना का 97% काम पूरा

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अब तक 97 प्रतिशत गणना का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,16,04,102 गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं जो लगभग 90 प्रतिशत है। 52,30,126 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले जो 6.62 प्रतिशत है। करीब 26 लाख मतदाताओं ने स्थायी रूप से अपना मत स्थानांतरित करवा लिया है जो 3.29 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि गणना में 1866869 मृतकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं जो 2.36 प्रतिशत है।

आधार, राशन कार्ड...

गया, जिसमें निर्वाचन आयोग से एसआईआर-2025 के लिए आधार, मतदाता और राशन कार्ड पर विचार करने को कहा गया था। इसमें कहा गया है, 'पहले से ही व्यक्त कानूनी चिंताओं के अलावा, इन दस्तावेज पर, वास्तव में, आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए पहले से ही विचार किया जा रहा है।' आयोग ने कहा, 'एसआईआर आदेश के तहत जारी किए गए गणना प्रपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि गणना प्रपत्र भरने वाला व्यक्ति आधार संख्या स्वेच्छा से दे सकता है। ऐसी जानकारी का उपयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा नौ के अनुसार पहचान के उद्देश्य से किया जाता है।'' साथ ही 2016 के अधिनियम की धारा नौ कहती है कि आधार नंबर नागरिकता या निवास आदि का प्रमाण नहीं है।

कोरोना काल में उपजी अनहोनी पहल

अंतिम यात्रा का सहारा बना पंजाबी समाज

न्यूज सर्विस/ नवज्योति, कामां। कस्बे के तीर्थराज विमल कुंड स्थित एक ऐसा मोक्ष धाम है जहां केवल शवदाह नहीं बल्कि एक ग्रीन पार्क बना हुआ है। जहां लोग रोजाना घूमने के लिए एवं एक्सरसाइज के लिए आते हैं। यहां जरूरतमंद इंसान के लिए संघर्षरत जीवन में कई बार अपने दैनिक जीवन यापन के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मृत्यु

के समय बहुत लोगों के लिए ईंधन तक नहीं जुड़ पाता उन्हीं लोगों की अव्यवस्थाओं एवं सेवा भाव की दृष्टि से उपजा हुई एक बेमिसाल पहल जो गत 4 सालों से अनवरत हैं। पंजाबी समाज के सेवा भाव को दुनिया हमेशा से गुरुद्वारों एवं अन्य सामाजिक कार्यों में निशुल्क भोजन निशुल्क मेडिकल व्यवस्थाओं एवं अन्य भूकंप ग्रस्त एरिया या किसी भी सामाजिक एरिया में सबसे पहले सेवा की दृष्टि से खड़े होने वालों में से देखती है। कोरोना काल में जब भाई-भाई एक दूसरे को छूने से परहेज कर रहा था, उस दौरान पंजाबी समाज के कुछ युवकों द्वारा स्वैच्छिक ईंधन व्यवस्था शुरू की गई। जहां अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जहां कई लोग अपने परिजन की मृत्यु होने पर पंजाबी समाज को 5000 रुपए तक की भी रसीद कटा कर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और कई लोगों के परिजन निशुल्क भी अंत्येष्टि को पूर्ण करते हैं। गत 4 वर्षों से निरंतर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे मुक्ति धाम व्यवस्थापक पवन गुलाटी द्वारा बताया गया कि पंजाबी समाज सेवा समिति के तत्वावधान में तीर्थराज विमलकुंड मुक्तिधाम में सुचारू ईंधन व्यवस्था के अंतर्गत बिना किसी

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डीग। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाये। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए

सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 5 अगस्त 2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह है किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

पत्रकार के साथ मारपीट के विरोध में सौंपा ज्ञापन

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भुसावर। इन्डियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इकाई के जिला अध्यक्ष उमेश लवानिया के निर्देशन में सिरोही जिले के माउंट आबू में पत्रकार के साथ नगर पालिका कार्मिकों द्वारा की

गई मारपीठ के विरोध में इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के भुसावर वैर तहसील अध्यक्ष रमाकांत लाटा के नेतृत्व में तहसील इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सिरोही जिले के माउंट आबू में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना सामने आई जिसने न केवल पत्रकारिता जगत को झकझोर कर रख दिया, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सीधा आघात किया है। एक समाचार पत्र के संवाददाता हरिपाल सिंह उखरडा ने एक समाचार में नगरपालिका अधिकारी का पक्ष जानने के उद्देश्य से माउंट आबू नगरपालिका कार्यालय पहुंचे थे। उसी समय वहां उपस्थित निलंबित सफाई निरीक्षक श्याम जणवा, सफाई निरीक्षक प्रवीण राजपुरोहित तथा सफाईकर्मी विक्रम चौहान ने एक राय होकर संवाददाता पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने पत्रकार के साथ लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की। उनकी गले की सोने की चैन, जेब में रखे 2500 रुपये, तथा मोबाइल फोन भी लूट लिया। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बनाया। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और पूरे पत्रकार समुदाय में रोष का विषय बना हुआ है। पीड़ित पत्रकार द्वारा माउंट आबू पुलिस थाने में एफआईआर 1 जुलाई को दर्ज करवाई गई है लेकिन तीनों कार्मिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा संतोषजन कार्यवाही नहीं की गई है। आईएफडब्ल्यूजे राजस्थान इस हमले की कड़ी निंदा करता है और मुख्यमंत्री से मांग

हुक्मनामा समाचार रोजाना अपने वाट्सअप पर प्राप्त करने के लिए 7737377077 पर मैसेज करे

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

डीग (हुक्मनामा समाचार)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाये ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्त्रुक) प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुन: हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह है किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलेक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

एक नजर

हरिद्वार के पवित्र जल से किया भोलेनाथ का अभिषेक

पवित्र श्रावण मास में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व : पंडित निकुंज शर्मा

जमवारामगढ (हुक्मनामा समाचार)। हर की पौड़ी हरिद्वार के पवित्र जल से शिव भक्तों ने किया भोलेनाथ का अभिषेक। ओम नम: शिवाय ओर बम भोले के नारों से गूंज उठा आकाश। जमवारामगढ़ के अस्थल गांव निवासी शिव भक्त मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि उत्तराखंड के हर की पौड़ी हरिद्वार से पहली डाक कावड़ यात्रा महज 51 घंटे में स्थल गांव पहुंची। पवित्र डाक कावड़ यात्रा तीन दर्जन शिव भक्तों द्वारा लाई गई। डाक कावड़ यात्रा के आस्थल गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पंडित निकुंज शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म के पवित्र श्रावण मास में कावड़ यात्रा का अपना विशेष महत्व है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर शिव भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। पंडित मिथुन जी शर्मा ने बताया कि भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं में सबसे भोले हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार के पवित्र जल से अस्थल गांव स्थित शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोचार एवं विधि विधान से पूजा अर्चना कर ओम नमःशिवाय के जयकारों के साथ अभिषेक किया गया। इस दौरान विनोद शास्त्री, सरवन लाल सैनी, महेश कुमार सैनी,नवाब सिंह जांगिड़, हनुमान साइन सैनी एवं मुकेश कुमार सैनी सहित अनेक शिव भक्त मौजूद रहे।

मुझे मत ढूंढना कहकर घर

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने किया पदभार

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई

गर्वित हिन्दुस्तान

डीग। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए-2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाये। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव और उनसे जुडे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुडी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुडवाये ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए बीएलए-1 एवं बीएलए-2 नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह है किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलेक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई, जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

राष्ट्रीय दैनिक सुनहरा संसार राजस्थान भरतपुर ब्यूरो हिमांशु मोदी

डीग – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाये। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाये ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (रक्फ) प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह है किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलेक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई

मरूधर विशेष

संवाददाता सलीम खान डीग, । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाये। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाये ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्इर) प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह है किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलेक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई

(भिवाड़ी टाइम्स)

डीग /सलीम खान । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाये। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाये ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 5 अगस्त2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्इर) प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह है किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलेक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

लोहागढ़ समाचार

डीग। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाये। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को प्रेषित की जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाये ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था जिसके उपरांत जिला डीग के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2025 से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्ढ्र) प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाऊस टू हाऊस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम मे बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए डीग कुम्हेर, नगर एवं कामां विधानसभा क्षेत्र के बीएलए-1 से आग्रह हैं किया गया कि बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची मय हस्ताक्षर जिला कलेक्टर कार्यालय को जाने का श्रम करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक

18 वर्ष आयु पूर्ण करने वालों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं

5 अगस्त से मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

डीग. मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सूची में शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीएलए 2 नियुक्ति व एसआईआर कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए-2 की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए। राजनैतिक दल के संबंधित पदाधिकारी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हुए उनकी सूचना ईआरओ के माध्यम से भिजवायें ताकि उक्त सूचना निर्वाचन विभाग को भेजी जा सके। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

डीग. बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते जिला कलक्टर

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी, दिशा-निर्देश से अवगत करवाते हुए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करते हुए त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करें। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं ताकि कोई भी पात्र मतदाता बनने से वंचित न रहे।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव देते हुए अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय) की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए (बीएलए-1 एवं बीएलए-2) नियुक्त करने के लिए निवेदन किया गया था, जिसके उपरांत जिले के विधानसभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर, नगर, कामां के लिए बीएलए-1 की नियुक्ति की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 5 अगस्त से सम्पूर्ण राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाता सूचियों को शुद्धता के साथ पुनः हाउस टू हाउस सर्वे द्वारा तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम में बीएलए-2 की भूमिका को निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण माना है।

दैनिक भास्कर भरतपुर डीग भास्कर 23-07-2025

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की कलेक्टर ने ली बैठक, बीएलए-2 की जल्द करें नियुक्ति

डीग| मतदाता सूचियों की शुद्धता और पात्र मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त दल बीएलए-2 की नियुक्ति कर इसकी सूचना जल्द उपलब्ध कराएं। यह जानकारी ईआरओ के माध्यम से भेजी जाए ताकि निर्वाचन विभाग को समय पर भेजा जा सके। बैठक में एसआईआर कार्यक्रम पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यह कार्यक्रम 5 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में शुरू होगा। इसमें हाउस टू हाउस सर्वे के जरिए मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। इसमें बीएलए-2 की भूमिका अहम मानी गई है। डीग-कुम्हेर, नगर और कामां विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए-1 से बीएलए-2 की नियुक्ति कर सूची जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कराने का आग्रह किया गया।अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सभी दल सहयोग करें। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम सूची में जुड़वाएं ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुझाव भी दिए और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने बीएलए-1 और बीएलए-2 की नियुक्ति के लिए निवेदन किया था।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उदयपुर संभाग के साथ बैठक आयोजित-

एसआईआर कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़े रखना है-मुख्य निर्वाचन अधिकारी

आत्मा की ज्वाला जयपुर-डूंगरपुर।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उदयपुर संभाग की संभागीय आयुक्त, 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक हेल्प डेस्क स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए कि इन हेल्प डेस्क पर नियुक्त व्यक्ति एसआईआर कार्यक्रम और उसके दिशा-निर्देशों से पूरी तरह से अवगत हों।

महाजन ने कहा कि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधनों जैसे बीएलओ, सूचना सहायक, पर्यवेक्षक आदि की समय रहते नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य स्तर पर कुल 271 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया जा चुका है। जिला एवं विधानसभा स्तर पर इन्हीं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कल से प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके अतिरिक्त, वॉलेंटियर का चयन शीघ्र कर उन्हें भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रैंडम चेकिंग के लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए।

उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी आम मतदाताओं तक सरल एवं प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए आईइसी गतिविधियों का व्यापक उपयोग किया जाए।

पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक

बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते राज्य चुनाव आयुक्त।

खैरथल @ पत्रिका. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार सहित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। महाजन ने जिला कलक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य, मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली संभागीय बैठक

खैरथल-तिजारा(भिवाड़ी टाइम्स)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। नवीन महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को बेसिक ओरियन्टेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत बताई और उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य, मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत, और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में 2 जुलाई 2025 को सभी नामित मास्टर ट्रेनर, डिप्टी डीईओ एवं पीआरओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। 3 से 15 जुलाई के बीच सभी बीएलओ को छोटे-छोटे बैचों में ट्रेनिंग दी गई । 16, 18 एवं 21 जुलाई 2025 को सभी जिलों से 271 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली संभागीय बैठक

किशनगढ़ टाइम्स/ चंदू आचार्य

डीडवाना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, स्क्रुत) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। नवीन महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को बेसिक ओरियन्टेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत बताई और उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य, मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत, और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में 2 जुलाई 2025 को सभी नामित मास्टर ट्रेनर, डिप्टी डीईओ एवं पीआरओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। 3 से 15 जुलाई के बीच सभी बीएलओ को छोटे-छोटे बैचों में ट्रेनिंग दी गई। 16, 18 एवं 21 जुलाई 2025 को सभी जिलों से 271 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली संभागीय बैठक

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा खैरथल-तिजारा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, सर) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। नवीन महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को बेसिक ओरियन्टेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत बताई और उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य, मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत, और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में 2 जुलाई 2025 को सभी नामित मास्टर ट्रेनर, डिप्टी डीईओ एवं पीआरओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। 3 से 15 जुलाई के बीच सभी बीएलओ को छोटे-छोटे बैचों में ट्रेनिंग दी गई। 16, 18 एवं 21 जुलाई 2025 को सभी जिलों से 271 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली संभागीय बैठक

■ निर्भीक राजस्थान

जयपुर, 22 जुलाई/करौली - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेसिव रिविजन, स्ह्रक्र) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यो की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। श्री नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। श्री नवीन महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को बेसिक ओरियंटेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड

लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत बताई और उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य, मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत, और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में 2 जुलाई 2025 को सभी नामित मास्टर ट्रेनर, डिप्टी डीईओ एवं पीआरओ को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। से 15 जुलाई के बीच सभी बीएलओ को छोटे-छोटे बैचों में ट्रेनिंग दी गई । 16, 18 एवं 21 जुलाई 2025 को सभी जिलों से 271 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली संभागीय बैठक

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेसिव रिविजन, एसआईआर) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यो की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है।

उन्होंने कहा कि बीएलओ को बेसिक ओरियन्टेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की ज़रूरत बताई और कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय करते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति शीघ्र करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन का कार्य, मतदाताओं की संख्या, दूरी, पहुंच, सहूलियत, और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में 2 जुलाई 2025 को सभी नामित मास्टर ट्रेनर, डिप्टी डीईओ एवं पीआरओ को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। 3 से 15 जुलाई के बीच सभी बीएलओ को छोटे-छोटे बैचों में ट्रेनिंग दी गई।

हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होगा शामिल: महाजन

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेसिव रिविजन) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी सात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।

महाजन ने बैठक में राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग, जनसंपर्क, निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। महाजन ने इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। बीएलओ को बेसिक ओरियन्टेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत बताई और कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए, जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित

भास्कर न्यूज | भरतपुर

जिले में आगामी फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में जिला एनआईसी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें मतदाता सूची से शुरू होती हैं और यदि यह त्रुटिरहित, अद्यतन और सत्यापित होगी तो चुनाव प्रक्रिया स्वतः ही निष्पक्ष और सुदृढ़ होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के हर बूथ स्तर पर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिससे किसी भी अपात्र दोहराए गए या मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकें और नए पात्र मतदाताओं को समय पर जोड़ा जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समय पर अपने बीएलए-2 की सूचियां निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भरतपुर। जिले में आगामी फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में जिला एनआईसी

सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें मतदाता सूची से शुरू होती हैं और यदि यह त्रुटिरहित, अद्यतन और सत्यापित होगी तो चुनाव प्रक्रिया स्वतः ही निष्पक्ष और सुदृढ़ होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के हर बूथ स्तर पर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा जिससे किसी भी अपात्र दोहराए गए या मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकें और नए पात्र मतदाताओं को समय पर जोड़ा जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे समयबद्ध रूप से ऐसे बीएलए-2 नियुक्त करें जो स्थानीय क्षेत्र से हो क्षेत्र की जानकारी रखता हो और कार्य के प्रति गंभीर एवं सक्रिय हो। उन्होंने कहा कि बीएलए-2 की भूमिका पुनरीक्षण प्रक्रिया की रीढ़ है। यदि बीएलए-2 सक्षम और जिम्मेदार होंगे तो मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकेगी। बैठक में उन्होंने बीएलए-1 एवं बीएलए-2 की नियुक्ति प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रपत्रों के उपयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एवं 1200 से अधिक मतदाताओ वाले मतदान केन्द्र जिनका पुनर्गठन एवं विभाजन की जानकारी प्रदान की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त बीएलओ संबधी निर्देश द्वारा अभियान के दौरान 1-01-2002 की वोटर लिस्ट को आधार माना जाएगा इसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के बाद ईआरओ के निर्णय के विरूद्व किसे अपील करनी है उसकी जानकारी प्रदान की गयी एवं मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र को भर सकता है इन सभी बिन्दुओ को विस्तार पूर्वक बताया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समय पर अपने बीएलए-2 की सूचियां निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा, प्रशिक्षु आईएएस भानू शर्मा, गिरधारी गुप्त, वीरेन्द्र सिंह, कैलाशबाबू गौतम, जितेन्द्र कुम्भज, मुकेश सिंघल, निर्लेप मिश्रा, योगेश सिंघल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली संभागीय बैठक

मरुमंच न्यूज

जयपुर/बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेसिव रिविजन, एसआईआर) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यो की तैयारियों को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी 7 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।श्री नवीन महाजन ने बैठक में राजस्थान में लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण, जनसंपर्क निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। नवीन महाजन ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है।

दैनिक नवज्योति
Jaipur city - 23 Jul 2025 - Page 13

हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होगा शामिल: महाजन

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेसिव रिविजन) एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, सभी सात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।

महाजन ने बैठक में राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग, जनसंपर्क, निगरानी और दस्तावेज संकलन की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन के लिए जयपुर संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिए। महाजन ने इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। बीएलओ को बेसिक ओरियन्टेशन देने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बीएलओ के स्तर पर ही जिज्ञासाओं का समाधान हो जाए। उन्होंने नगर निगम में वार्ड लेवल पर हेल्प डेस्क लगाने की जरूरत बताई और कहा कि हेल्प डेस्क पर संजीदा लोगों को लगाया जाए, जिससे सामान्य जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दैनिक भास्कर
जयपुर 23-07-2025

एसआईआर : महाजन ने ली उदयपुर संभाग की बैठक

जयपुर| मतदाता सूचियों से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को लेकर बिहार सहित कई जगह विवाद चल रहा है। अब उसे राजस्थान में लागू कराने की तैयारियां प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। दो संभागों की बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को उदयपुर संभाग की बैठक ली और तैयारियों को लेकर चर्चा की। नवीन महाजन ने बैठक में कहा कि एसआईआर कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।